न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
038/2019(रे.वि.) (GCMS 2019/00110)	29.07.2019	19.12.2023

अनवान

केशीबाई पत्नी नाथु जाति जटिया उम्र 70 साल निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स ग्रैसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (सीमेन्ट डिवीजन) बिरला ग्राम नागदा जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) ईकाई आदित्य सीमेन्ट सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र बाबत् मुआवजा राशि दिलवाये जाने। प्र.सं. 063/1997 (रे.वि.) निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 25.06.2003 अनवान मैसर्स ग्रैसिम इण्डस्ट्रीज बनाम नाथु पिता नंगा चमार

उपस्थिति :– रतन लाल कुमावत — प्रार्थी
एस एन ईनाणी — अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत् मुआवजा राशि दिलवाये जाने। प्र.सं. 063/1997 (रे.वि.) निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 25.06.2003 अनवान मैसर्स ग्रैसिम इण्डस्ट्रीज बनाम नाथु पिता नंगा चमार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति के नाम कृषि आराजियात ग्राम कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 252, 253, 361, 381, 383, 609, 610 होकर कुल किता 7 कुल रकबा 2.09 हैक्टेयर है जिसमे प्रार्थीया का हक व हिस्सा निहित है और उक्त हिस्से अनुसार प्रार्थीया वर्तमान में खातेदार है जबकि प्रार्थीया की उक्त कृषि आराजियात को कम्पनी के खनन कार्य हेतु अवाप्त की गयी है परन्तु अभी तक प्रार्थीया के नाम पर ही कृषि आराजियात है एवं प्रार्थीया को मुआवजा भी नहीं दिया गया है जिससे प्रार्थीया को मुआवजा दिलवाया जाना न्यायोचित है। अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भी प्रार्थीया को मुआवजा नहीं दिया गया है जिससे प्रार्थीया को मुआवजा राशि मय 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं 30 प्रतिशत सोल्युशन व भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के नवीन प्रावधानो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुसार डीएलसी दर का चार गुना मुआवजा राशि की गणना कर प्रार्थीया को मुआवजा दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थीया को उपरोक्तानुसार मुआवजा राशि दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। दिनांक 22.10.2021 को अप्रार्थी की और से अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 24.05.2022 को अप्रार्थी की और से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 05.12.2023 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली प्रार्थना–पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीया के पति के नाम कृषि आराजियात ग्राम कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 252, 253, 361, 381, 383, 609, 610 होकर कुल किता 7 कुल रकबा 2.09 हैक्टेयर है जिसमे प्रार्थीया का हक व हिस्सा निहित है और उक्त हिस्से अनुसार प्रार्थीया वर्तमान में खातेदार है जबकि प्रार्थीया की उक्त कृषि आराजियात को कम्पनी के खनन कार्य हेतु अवाप्त की गयी है परन्तु अभी तक प्रार्थीया के नाम पर ही कृषि आराजियात है एवं प्रार्थीया को मुआवजा भी नहीं दिया गया है जिससे प्रार्थीया को मुआवजा दिलवाया जाना न्यायोचित है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि नाथु जी का आराजीयात कम्पनी के खनन कार्य हेतु अवाप्त होना स्वीकार है जिसे लगभग 19 वर्ष हो चुके है। अवाप्ति के पश्चात् नाथुजी का स्वर्गवास हो जाने से उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा राशि अदा कर अवाप्तशुदा भूमि का कम्पनी द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया और रेकार्ड में भी कम्पनी का नाम अंकित हो गया। बाद में चालु रेकार्ड में प्रार्थी का नाम कैसे अंकित हुआ इस बारे में कम्पनी द्वारा जानकारी की जा रही है। प्रार्थी ने भी स्पष्ट अंकन नहीं किया है। बिना मुआवजा राशि अदा होने के भूमि का कब्जा तहसीलदार द्वारा नहीं दिलाया जाता है। प्रकरण 19 वर्ष पुराना हो चुका है जिससे कम्पनी पुराना रेकार्ड निकलवाकर सारी स्थिति स्पष्ट करेगी। प्रार्थी द्वारा इतने वर्ष तक कोई आपत्ति नहीं करना आश्चर्यजनक है। अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् नाथुजी के वारिसान को मुआवजा देकर ही कब्जा प्राप्त किया गया। मुआवजा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की राशि न्यायालय आप द्वारा तय की गई थी। ऐसी अवस्था में नये सिरे से मुआवजा राशि तय करने की प्रार्थी की मांग सही नहीं है और भ्रमित करने वाली है। प्रार्थी नाथुजी की अकेली उत्तराधिकारी नहीं होकर अपितु नाथुजी के पुत्र कालु जगदीश मदन कैलाश सोहन व गोमन भी उत्तराधिकारी है जिनकी और से कोई एतराज नहीं किया गया है। नाथुजी के वारिसान दिनांक 20.08.2007 को मुआवजा राशि जरिये चेक प्राप्त कर चुके है। वकील अप्रार्थी द्वारा दौरान–ए–बहस मौजा कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा का नामान्तरकरण संख्या 449 निर्णय दिनांक 06.07.2021 की छाया प्रति पेश की जो कि शामिल पत्रावली है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा–खर्चा के खारीज फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भी प्रार्थीया को मुआवजा नहीं दिया गया है जिससे प्रार्थीया को मुआवजा राशि मय 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं 30 प्रतिशत सोल्युशन व भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के नवीन प्रावधानो अनुसार डीएलसी दर का चार गुना मुआवजा राशि की गणना कर प्रार्थीया को मुआवजा दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे। अतः प्रार्थना है गई कि प्रार्थीया को मुआवजा राशि दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के समर्थन में दस्तावेज के रूप में प्रमाणित प्रतिलिपि नकल निर्णय दिनांक 25.06.2003, नकल आदेशिका प्रकरण संख्या 063/1997(रे.वि.), आधार कार्ड की प्रति श्रीमती केशीबाई, नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 मौजा कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा के के खाता संख्या 45 एवं मिलान खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 063/1997(रे.वि.) अनवानी मैसर्स ग्रैसिम इण्डस्ट्रीज बनाम नाथु अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 25.06.2003 से मौजा कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 239 रकबा 1–16, आराजी संख्या 241 रकबा 1–02 एवं आराजी संख्या 954/224 रकबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2–07 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि का खनन प्रयोजनार्थ कुल तादादी 2,34,767/– रूपये अक्षरे दौ लाख चौतीस हजार सात सौ सतसठ रूपये मात्र मुआवजा का निर्धारण किया गया। इस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। जिसकी पुष्ठि पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 25.06.2003 से होती है। इसके साथ प्रार्थी की और से प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से आराजी संख्या 239 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा के नये नम्बर 381 क्षेत्रफल 0.45 हैक्टेयर, आराजी संख्या 241 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के नये नम्बर 383 क्षेत्रफल 0.28 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 954/224 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के नये नम्बर 361 क्षेत्रफल 0.59 हैक्टेयर कायम किये गये है इस तथ्य की पुष्ठि होती हैं। इस प्रकार न्यायालय निर्णय दिनांक 25.06.2003 से साबिक आराजीयात आराजी संख्या 239 रकबा 1–16, आराजी संख्या 241 रकबा 1–02 एवं आराजी संख्या 954/224 रकबा 2–07 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि के भू–प्रबंध के पश्चात् नये आराजी संख्या 361 क्षेत्रफल 0.59 हैक्टेयर, आराजी संख्या 381 क्षेत्रफल 0.45 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 383 क्षेत्रफल 0.28 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.32 हैक्टेयर कायम किये गये है कि ताईद पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल से होती है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य उभर कर आता है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 063/1997(रे.वि.) निर्णय दिनांक 25.06.2003 से जिस साबिक आराजीयात का खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा का निर्धारण किया गया है उस आराजीयात के हाल नम्बर 361, 381 व 383 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.32 हैक्टेयर है। इसके साथ ही प्रार्थी की और से प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 45 से प्रमाणित पाया जाता है कि आराजी संख्या 361, 381 व 383 प्रार्थीया केशीबाई पत्नी नाथु चमार सा0देह के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज अभिलिखित रही है। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा छायाप्रति नामान्तरकरण संख्या 449 निर्णय दिनांक 06.07.2021 से तथ्य स्वीकार योग्य है कि उक्त नामान्तरकरण से आराजीयात आराजी संख्या 361, 381 व 383 वर्तमान में मैसर्स ग्रेसीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (सीमेंट डिवीजन) बिरला ग्राम नागदा जिला उज्जैन के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। नामान्तरकरण को अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि उक्त नामान्तरकरण न्यायालय आदेश की पालना में निर्णित किया गया है। आराजीयात जैरबहस पूर्व में प्रार्थीया के सहखातेदारी हक से दर्ज अभिलिखित रही है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 449 से परिवर्तन सक्षम स्तर तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा किया गया गया है। इसके साथ न्यायालय निर्णय दिनांक 25.06.2003 पृष्ठ 3 के पैरा संख्या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 व 2 से न्यायालय द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि कम्पनी को भुगतान पूर्व कब्जा दिया जाता है तो एक और किसान बेरोजगार हो जावेगा दूसरी और राशि समय पर नहीं मिलने से ब्याज का आर्थिक नुकसान होगा। तहसीलदार के मार्फत भुगान कराने से सही व्यक्ति को भुगतान होगा एवं अनावश्यक मुकदमाबाजी नहीं होगी। इसके साथ ही तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देश दिये गये है कि उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे बाबत् संतुष्टि के उपरांत स्वयं के समक्ष संबंधित खातेदार को राशि का भुगतान कर भुगतान प्रमाणित करेगें तत्पश्चात् प्रार्थी कम्पनी कब्जा प्राप्त करेगी। नामान्तरकरण संख्या 449 से तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा आराजीयात जैरबहस को न्यायालय निर्णय एवं निर्देश की पालना की जाकर ही राजस्व रेकार्ड में अमल किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा भुगतान प्राप्ति के संबंध में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि इस तथ्य को प्रमाणित कराये जाने का भार प्रार्थी की प्रार्थी को उसके हक हिस्से का मुआवजा राशि प्राप्त नहीं है। प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में ओर किसी छिद्रान्वेषण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसके साथ ही अगर भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई अनियमितता अथवा धोखा–धडी प्रार्थीया के कारित की गई है तो प्रार्थी इस संबंध में सक्षम न्यायालय से चारागोही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पूर्ण साक्ष्य के अभाव में खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया अपना प्रार्थना–पत्र साक्ष्य से प्रमाणित कराये जाने में असफल रही है, अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.12.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official